पुलिस आदेश संख्या 277 / 2000

प्रसंग :- पुलिस आदेश सं0-209/88 में आंशिक संशोधन ।

विषय :- प्रत्येक जिला/वाहिनी में आरक्षियों के स्वीकृत बल में से 3-3 पद मुठभेड़ अथवा कर्त्तव्य में मृत आरक्षी बल के सदस्यों के नाबालिग बच्चों के लिए सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में ।

पुलिस आदेश सं0- 209/88 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि प्रत्येक जिला में आरक्षियों के स्वीकृत बल में से दो-दो पद मुठभेड़ अथवा कर्त्तव्य में मृत आरक्षी बल के सदस्यों के नाबालिग बच्चों के लिए सुरक्षित रखे जायेंगे ।

वर्त्तमान में आरक्षी बलों की संख्या में वृद्धि के कारण उनके मृत्यु की संख्या में भी वृद्धि हुई है । प्रत्येक जिला/यूनिट में चार बाल आरक्षी का पद अपर्याप्त हो गया है । फलतः पुलिस आदेश सं0 209/88 में संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई ।

समीक्षोपरान्त पुलिस आदेश सं0- 209/88 में निम्न आंशिक संशोधन किया जाता है :-

1. प्रत्येक जिला/वाहिनी में आरक्षियों के स्वीकृत बल में से तीन-तीन पद सुरक्षित रखने का आदेश दिया जाता है जिसके विरुद्ध प्रत्येक जिला/वाहिनी में छः-छः बाल आरक्षी की नियुक्ति की जायगी ।
2. बाल आरक्षी के पद पर नियुक्ति का आदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत किया जायेगा ।

पुलिस आदेश सं0 209/88 को इस हद तक संशोधित समझा जाय । शेष अंश पूर्ववत् रहेंगे ।

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक 4612 पो2 महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक का कार्यालय, बिहार ।
43-38-126-2000 पटना, दिनांक 20 जुलाई, 2000.

प्रतिलिपि :-
1- सभी आरक्षी अधीक्षक/रेल/अप0अनु0विभाग/विशेष शाखा सहित/ सभी समादेष्टा अष्टधारोही सैन्य पुलिस बल सहित को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ । बाल आरक्षी की रिक्ति की अद्यतन सूचना शीघ्र आरक्षी मुख्यालय को भेजें ।
2- आरक्षी अधीक्षक, आरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय, नाथनगर, भागलपुर/टी0टी0एस0जमशेदपुर एम0पी0टी0सी0, पटना, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ । बाल आरक्षी की रिक्ति की अद्यतन सूचना शीघ्र भेजें ।
3- आरक्षी महानिरीक्षक के सहायक वित्तु बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ । बाल आरक्षी की रिक्ति की अद्यतन सूचना शीघ्र भेजें ।
4- सभी क्षेत्रीय आरक्षी उप-महानिरीक्षक/रेल/सैन्य पुलिस/अप0अनु0वि0/वि0शा0सहि को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।
5- सभी अपर महानिदेशक सशस्त्र पुलिस/रेलवे सहित/सभी क्षेत्रीय आरक्षी महानि को कृपया सूचनार्थ प्रेषित ।

आरक्षी उप-महानिरीक्षक सा0मि0 बिहार, पटना ।

राय/1972000 20/7/2000